संख्या-76/2021/1504/छप्पन-2021-02/2013

प्रेषक,

डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 16 अगस्त, 2021

विषय: रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे चित्रकूट एयरपोर्ट पर दूरभाष की सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 184/आर०सी०एस०-2021-सी-1/2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे चित्रकूट एयरपोर्ट पर दूरभाष की सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु आगणन लागत रू0 35,50,376/- (रुपए पैंतीस लाख पचास हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) के प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित चित्रकूट एयरपोर्ट पर दूरभाष की सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु लगत रू0 35,50,376/- (रुपए पैंतीस लाख पचास हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा|
IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा ।
VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को आवंटित कर तत्काल जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा उपर्युक्तनुसार कार्यवाही करने के पश्चात निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0 लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्ष "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800 अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीनजल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3/2021/बी-1-375/दस- 2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

<u>पृ० सं० : 76/2021/1504 (1)/छप्पन-2021 तद् दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार / ई 0 एस 0-।।।, आडिट भवन, टी0 सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, चित्रकूट |
4. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. नियोजन अनुभाग-4 / राजस्व अनुभाग-13
8. निजी सचिव, मा० नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10. गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।